



2026:AHC:50148

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 2830 वर्ष 2025

मालती

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : बच्चा सिंह

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए योजित की गई है:-

"क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए कि वह उनके समक्ष लंबित अपील संख्या टी.बी. 284, चकबंदी नियम नियमावली के नियम 109(3) के अंतर्गत (मालती बनाम स्वामी नाथ एवं अन्य), को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निस्तारित करें, ताकि न्याय हो सके।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस आशय का निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है कि उपरोक्त वाद का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस प्रकरण को लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार एक सकारण एवं सुस्पष्ट आदेश द्वारा उपरोक्त वाद को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर निस्तारित करें।

5. उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

सुषमा